

# कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बडोखर खुर्द, बॉदा

पत्रांक- 175

/भूसा/टेण्डर/2026-27

दिनांक- 18.05.2026

## ई-निविदा सूचना

मुख्य विकास अधिकारी बॉदा के पत्र संख्या 203/पी०-5/लेखा/भूसा-टेण्डर पत्रा०/2026-27 दिनांक 24.04.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विकास खण्ड बडोखर खुर्द परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो पर संचालित स्थाई/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशो की उदर पूर्ति हेतु उच्च/उत्तम कोटि के गेहूँ का भूसा, साइलेज एवं पशुआहार को आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से दिनांक 19.05.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से दिनांक 09.06.2026 के सायं 06:00 बजे तक ई-टेण्डर द्वारा संलग्न नियम व शर्तों के अधीन ही ऑनलाइन निविदा सम्मिलित की जायेगी। दिनांक 10.06.2026 को अपराह्न 2:30 बजे ई-निविदा की टेक्निकल बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय (खण्ड विकास अधिकारी, बडोखर खुर्द) में गठित विकास खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष खोली जायेगी। टेक्निकल बिड वैध पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है ऐसे निविदादाता जो ई-टेण्डर के लिए पंजीकृत हों तथा उनके डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध हों व निविदादाता फर्म ही ई-टेण्डर प्रणाली में टेण्डर डाल सकेगें। दिनांक 10.06.2026 पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तकनीकी निविदा प्रपत्र की हार्ड कापी (मूल प्रपत्र) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बडोखर खुर्द जनपद बॉदा में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा गठित समिति द्वारा कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व जनपद स्तरीय क्रय समिति/जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन उपरान्त ही जारी किया जायेगा।

क्र० सं०	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री	अर्नेस्टमनी रू० में (ई०एम०डी०)	निविदा प्रपत्र मूल्य रू० में (नॉन रिफण्डेबल)	ई-निविदा अवधि	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक
1	1- गेहूँ का भूसा आवश्यकतानुसार लगभग 40788 कुन्टल (मात्रा घट-बढ़ सकती है।) 2-साइलेज आवश्यकतानुसार लगभग 61182 कुन्टल (मात्रा घट-बढ़ सकती है।) 3- पशुआहार आवश्यकतानुसार लगभग 10197 कुन्टल (मात्रा घट-बढ़ सकती है।)	रू० 9,20,000.00 (रू० नौ लाख बीस हजार मात्र)	रू० 25,000.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० (रू० पच्चीस हजार + अद्वारह प्रतिशत जी०एस०टी०)	31 मार्च, 2027 तक	10.06.2026

### ई-निविदा की नियत तिथि एवं समय:-

1	आनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/उपलब्ध होने की तिथि एवं समय	19.05.2026 अपराह्न 02.00 बजे से
2	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	19.05.2026 अपराह्न 03.00 बजे से
3	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	09.06.2026 सायं 6.00 बजे तक
4	तकनीकी (टेक्निकल) निविदा प्रपत्र की हार्डकापी जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	10.06.2026 पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
5	आनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	10.06.2026 अपराह्न 02:30 बजे


  
(सुबष चन्द्र)

खण्ड विकास अधिकारी  
बडोखर खुर्द (बॉदा)

पत्रांक / दिनांकित-

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय, बॉदा को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, बॉदा।
3. समस्त विकास खण्ड स्तरीय/जनपद स्तरीय गठित क्रय समिति।
4. सम्पादक बुन्देलखण्ड लाइव बॉदा/दैनिक जागरण ज्ञांसी प्रकाशन को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन सशुल्क कम से कम स्थान पर प्रकाशित करते हुए शासन द्वारा निर्धारित दरों पर बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।

  
खण्ड विकास अधिकारी  
बडोखर खुर्द (बॉदा)

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, ~~बड़ोसर खुर्द~~ जनपद बोंदा हेतु स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशोंकी उदरपूर्ति हेतु गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के क्रय हेतु निविदा की शर्तों/सूचना

1. उक्त निविदा 31 मार्च, 2027 तक मान्य होगी या रक्षाम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त अगला टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी।
2. निविदा पत्र के साथ गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के लिये रु० 920,000/- (रु० नौ लाख बीस हजार रुपये) मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ०डी०आर० खण्ड विकास अधिकारी ~~बड़ोसर खुर्द~~ के पक्ष में सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। बंक/नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार खराब पाये जाने पर बीजक का भुगतान नहीं होगा तथा जमानत की धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
4. निविदादाता का जी०एस०टी० पंजीकरण, पैन नं० होना अनिवार्य है, जिसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 व 2024-25 अर्थात् कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2023-24, 2024-25 व 2025-26 का आयकर विवरण सलंग्न करना होगा।
6. निविदा की दरे एफ०ओ०आर (गोदाम के अन्दर) की होनी चाहिए।
7. निविदादाता को निविदा के साथ 01 किग्रा० गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का नमूना उपलब्ध कराना होगा।
8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के सन्झ विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। उच्चने सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. ई-टेण्डर खोलने के बाद दरों का निगोसियेशन किसी फर्म से नहीं किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से जिला स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त निगोसियेशन किया जा सकता है।
10. क्रय समिति का यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानकों के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायें।
11. जनपद स्तरीय क्रय समिति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, अथवा स्थानीय बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
12. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुयी न्यूनतम दरों पर जनपद स्तरीय क्रय समिति /जिलाधिकारी महोदय बोंदा के द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त न्यूनतम दरें स्वीकृत की जायेगी।
13. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर धर्मकारों की तौल पर देना होगा।
14. उत्तर प्रदेश प्रोदयोरमेन्ट मैनुअल 2016 के अध्याय 09 के क्रमांक 9.14 में स्पष्ट उल्लिखित है कि सफल निविदादाता Value of Contract का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुबन्ध करते समय पृथक से एफ०डी०आर० बनवाकर खण्ड विकास अधिकारी ~~बड़ोसर खुर्द~~ के पक्ष में बन्धक रखनी होगी एवं न्यूनतम स्वीकृत टेण्डरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराने में असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिच्छुक मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते

✓

Gader  
By cro


✓

अर्नेस्ट मनी राशि जवकर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम (L-1) दरों पर जनपद स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है। जिन निविदादाता की दरें स्वीकार की जायेगी उन्हें भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-57 के अन्तर्गत ₹0 100/- (रुपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश शासन की निबन्धन विभाग की एम0ए0व्यू क्र0सं0-16 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित सफल ठेकेदार को धनराशि ₹. 50.00 का शपथ पत्र/बान्ड भरना होगा कि "मा0 उच्चतम न्यायालय मे विचाराधीन याचिका का निर्णय यदि राज्य सरकार के पक्ष मे कर दिया जाता है तो नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जायेगा"।

15. निविदादाता के नाम कम से कम ₹0 3,00,000.00 (₹0 तीन लाख) मात्र का हेरियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत अथवा ₹0 6,00,000.00 (₹0 छः लाख) की बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का न्यूनतम 500 कुन्टल आपूर्ति का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नही डाली गयी है, जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अर्नेस्ट मनी के साथ दरें प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
18. लोडिंग-अनलोडिंग में जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी।
19. क्रय उत्तर प्रदेश प्रोक्वोरमेन्ट मैनुअल तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
20. सफल निविदादाता को उत्तर प्रदेश प्रोक्वोरमेन्ट मैनुअल में वर्णित इंटिग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact ref Para 18.9) को भी हस्ताक्षरित करना होगा।
21. तकनीकी निविदा में सभी प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड करने होंगे।
22. जनपद स्तरीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

क्रय आदेश/आपूर्ति/भुगतान

1. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तत्काल आपूर्तिकर्ता को विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर आपूर्ति करनी होगी तथा आपातकालीन स्थिति में गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति करनी होगी।
2. विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों के क्रय आपूर्ति आदेश/भुगतान ग्राम समिति में ग्राम प्रधान/सचिव, एन0जी0ओ0 के संचालको के द्वारा विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार अस्थायी गौवश आश्रय स्थल के खाते से नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
3. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नही ली जायेगी।
4. जनपद स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर एक से अधिक आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होती है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बराबर मात्रा में आवंटित कर दिया जायेगा एक के मना करने पर आदेश दूसरे आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा।
5. अपरिहार्य कारणों से गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति को होगा।

  
Gadw  
By CWO



6. गेहूँ का भूसा/साइलेज आपूर्ति के स्थल विकास खण्ड के स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थल में करनी होगी। स्थल में परिवर्तन व स्थलों की संख्या को घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
7. विकास खण्ड/तहसील स्तरों पर गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के भण्डारन हेतु बैंक स्थापित करना होगा तथा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहे जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आपूर्ति करायी जा सके।

#### गुणवत्ता


1. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति प्राप्त करते समय पशु आश्रय स्थलों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का परीक्षण किया जायेगा और यदि परीक्षण के समय भूसा/साइलेज/पशु आहार अधोमानक प्रतीत हुआ तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल वाहरी तत्व बालू/भिट्टी, लोहे के टुकड़े आदि नहीं होने चाहिए। गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार उच्च कोटि/प्रथम श्रेणी गुणवत्ता एवं सही पैकिंग का माल न होने पर अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट होने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

#### अन्य शर्तें

1. यदि आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार विकास खण्ड/जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से निपटारा किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णयदोनों पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र बाँदा होगा।
  2. उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकता है।
- उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तों को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

निविदादाता का हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
फर्म/कम्पनी की सील.....  
पूरा पता.....



  
By Mrs



**कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बडोखर खुर्द, बोदा**

**ई-निविदा तकनीकी बिड**

विकास खण्ड बडोखर खुर्द पर संचालित स्थायी/अस्थायी गौ आश्रय स्थल पर संरक्षित गौवंशों की उदर पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि हेतु गेहूँ का भूसा, साइलेज एवं पशुआहार के सम्बन्ध में प्रकाशित ई-निविदा सूचना संख्या. ....दिनांक.....सम्बन्धी तकनीकी प्रपत्र का विवरण


1	निविदादाता फर्म का नाम	
2	निविदादाता/फर्म का पता मोबाइल व ई-मेल नं०	
3	जी०एस०टी० संख्या/तिथि वैद्यता दिनांक (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें।)	
4	आयकर स्थायी संख्या (पैन न०) प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
5	03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 अर्थात् कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का आयकर विवरण (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)	
6	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (डिमांडड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारन्टी निर्धारित प्रारूप/एफ०डी०आर० मूल रूप में संलग्न करें।)	
7	निविदा प्रपत्र क्रय फीस का एफ०डी०आर०/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक मूल रूप में संलग्न करें	

**घोषणा**

मैंने/हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओं के लिए आवश्यक निर्देश) के लिये निर्देश को भली भाँति पढ/समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु बचनबद्ध हूँ/हैं। मैं विकास खण्ड बडोखर खुर्द में संचालित स्थायी/अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों के संचालको द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हूँ/हैं। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी/हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। क्रय प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की सभी शर्तें स्वीकार हैं। उपरोक्त के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान-.....

दिनांक-.....

 निविदादाता अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर  
प्रतिष्ठान की मुहर

*BC*